फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला—श्रीगंगानगर

रामप्रताप उर्फ प्रतापचन्द बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा:—88,209 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्या:—03/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 75 के चक 226 आर0डी0एल0 के खाता संख्या 38/27 के पत्थर संख्या 195/50 (77) के किला संख्या 12/2 में 0.107 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपर्युक्त वर्णित भूमि में वादी का नाम प्रतापचन्द पुत्र पन्नाराम लिखा गया है जबकि वादी का नाम रामप्रप पुत्र पन्नाराम लिखा जाना था। जो वादी के आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, भामाशाह कार्ड में अपना नाम राम्रताप पुत्र पन्नाराम लिखा है। राजस्व कर्मियों की भूल की वजह से प्रतापचन्द पुत्र पन्नाराम दर्ज हुआ है। जबकि वादी का सही नाम रामप्रताप पुत्र पन्नाराम है। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। चक 226 आर.डी.एल. की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 38/27 के पत्थर संख्या 195/50 (77) के किला नं. 12/2 की 0.107 हैक्टर अ0क0 भूमि प्रतापचन्द पुत्र पन्नलाल दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भामाशाह कार्ड एवं ग्राम पंचायत रायांवाली द्वारा दिनांक 29.10.2022 को जारी प्रमाण पत्र में वादी का नाम रामप्रताप अंकित है। वादी ने स्वयं भी बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं गवाह नवीन गौड़ ने भी बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाद वादी स्वीकार कर चक 226 आर.डी.एल. की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 38/27 के पत्थर संख्या 195/50 (77) के किला नं. 12/2 की 0.107 हैक्टर अ0क0 भूमि में प्रतापंचन्द पुत्र पन्नालाल के स्थान पर प्रतापचन्द उर्फ रामप्रताप पुत्र पन्नाराम नाम दुरस्त कर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुसार चालू जमाबंदी में अमलदरामद करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.रामप्रताप उर्फ प्रतापचन्द पुत्र पन्नाराम जाति औसवाल निवासी रायांवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादी

वाद पत्र धारा–88,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 03 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री सुरेन्द्र सुथार एवं पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाद वादी स्वीकार कर चक 226 आर.डी.एल. की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 38/27 के पत्थर संख्या 195/50 (77) के किला नं. 12/2 की 0.107 हैक्टर अ0क0 भूमि में प्रतापचन्द पुत्र पन्नालाल के स्थान पर प्रतापचन्द उर्फ रामप्रताप पुत्र पन्नाराम नाम दुरस्त कर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुसार चालू जमाबंदी में अमलदरामद करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें।

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

नोज......ग......मुबलिग......ग......बाबत......ग......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......ग...... फस्दों की पालना......ग. ......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03.01.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ ★ ★

(सन्दीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़ (राज.)